मुन्तकिली प्रकरण सं0 29/2017 अनवानी 1–गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरनपुर 2–गुरमेज सिंह 3– जगमोहन सिंह बनाम 1– गुरसेवक सिंह पुत्र स्व0 जोधसिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरनपुर 2–सर्वजीत कौर पत्नि स्व0 जोधसिंह 3–राजविन्द्र कौर पुत्री जोध सिंह 4– जरनेल सिंह पुत्र स्व0 जोधसिंह 5–कर्मजीतसिंह पुत्र स्व0 जोध सिंह 6– परमजीतसिंह पुत्र जोधसिंह 7– नरेन्द्रकौर पुत्री जोध सिंह 8– तहसीलदार, श्रीकरनपुर 8– उपजिलाधीश श्रीकरनपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री गुरप्रीतसिंह उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री गुरप्रीत सिंह का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के न्यायालय में चक 6 एफ ए तहसील श्रीकरनपुर की कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 के खिलाफ धारा 88–91–188–92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम का वाद पत्र एवं साथ में धारा 212 आरटीए का प्रा0 पत्र अनवानी गुरविन्द्रसिंह बनाम गुरसेवक सिंह आदि पेश कर रखा है। जिसमें अप्रार्थीयान ने जबाब पेश किया और मुकदमा में गत तारीख पेशी 12.04.17 नियत थी और 12.04.17 को सुबह ही अप्रार्थी सं0 1 ने गांव में ऐलानिया कहा कि उसने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है और अपरोच करवा दी है तथा प्रार्थीयान का दावा एवं प्रा0 पत्र शीघ्र खारिज हो जावेगा। उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 12.04.17 को पीठासीन अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से 17.04.17 की तारीख पेशी नियत की और साफ तौर पर कहा कि आज ही बहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज करेंगे। पीठासीन अधिकारी के उक्त रवैया से यह स्पष्ट है कि वे अप्रार्थीयान के प्रभाव में है जिससे दिनांक 12.04.17 को अप्रार्थी द्वारा किये गये ऐलानिया कथन की पुष्टि होती है जिस कारण प्रार्थीयान को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। अतः प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु एडमिट कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की जाकर मुकदमा अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के न्यायालय में लंबित अनवानी वाद गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम गुरसेवक सिंह आदि धारा 88–91–188–92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है कि दिनांक 12.04.17 को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सुबह अप्रार्थी सं0 1 ने गांव में ऐलानिया कहा कि उसने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है और अप्रोच करवा दी है। इसलिए वह दावा एवं प्रा0 पत्र को शीघ्र खारिज करवा देगा। उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी समय भी लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीगण का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर